न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,धनबाद।

(छोटानागपुर काश्तकारीअधिनियम की धारा 46 के तहत अनुमति)

एम0 आर0 केश नं0– 180/2021–22

–:आदेश:–

अभिलेख आज उपस्थापित। इस कार्यालय के पत्रांक– 302, दिनांक– 01.03.2023 से अंचल अधिकारी, बाघमारा को जॉच प्रतिवेदन त्रुटि निराकरण हेतु भेजा गया। अंचल अधिकारी, बाघमारा के पत्रांक– 690, दिनांक– 24.06.2023 से जाँच प्रतिवेदन त्रुटि निराकरण कर उपलब्ध कराया गया है। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि आवेदक 1. मुची राम मोहली, 2. अकलु मोहली, पिता– स्व0 बीरबल मोहली, साकिम– आमाडीह, थाना– महुदा, जिला– धनबाद अपनी जमीन मौजा– राधानगर, मौजा नं0– 303, गत् खाता सं0– 36, गत प्लॉट सं0– 22, हाल खाता सं0– 119, हाल प्लॉट सं0– 40, रकवा– 04 डिसमील भूमि क्रेता सावित्री देवी, पति– सीता राम मोहली, साकिम– आमाडीह, थाना– महुदा, जिला– धनबाद को बेचने की अनुमति चाहते है। अंचल अधिकारी ने अपने प्रतिवेदन मे प्रतिवेदित किया है कि विक्रेता एवं क्रेता जाति के महली है तथा दोनो एक ही थाना– महुदा, जिला– धनबाद के निवासी है। जमीन रैयती खाते की है, बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास 5.16 एकड़ भूमि शेष बचती है। अंचल अधिकारी के द्वारा आवेदित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति देने की अनुशंसा भी की गयी है।

अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आवेदक को प्रश्नगत जमीन बिक्री करने की अनुमति उपायुक्त द्वारा निर्धारित दर पर की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित,

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
धनबाद।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
धनबाद।

Digitally signed by SATISH CHANDRA
Date: 2023.09.02 15:55:55 +05:30
Location: 192.168.29.168

Scanned by CamScanner